

धारा 47 : विलंब फीस का उद्ग्रहण

- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 ¹[.....] के अधीन अपेक्षित जावक ²[.....] पूर्तियों के ब्यौरे या धारा 39 या धारा 45 ³[या धारा 52] के अधीन अपेक्षित विवरणियां अंतिम तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए विलंब फीस का संदाय करेगा।
 - (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो नियत तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके आवर्त के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।
-

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "या धारा 38" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "या आवक" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।